न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/95 **दायरा दिनांक : 16.05.2025**

उनवान

1. सकीरा बी उम्र 50 वर्ष पत्नी हाफिज पुत्री साबरा बी मुसलमान, निवासी मोहल्ला होली सुसनेर, तहसील सुसनेर, जिला आगर मध्यप्रदेश
2. आसीया बी उम्र 45 वर्ष पत्नी अब्दुल हाफीज पुत्री साबरा बी मुसलमान, निवासी मोहल्ला मंगलपुरा पिडावा, तहसील पिडावा
3. हसीना बी उम्र 43 वर्ष पत्नी इकबाल पुत्री साबरा बी मुसलमान, निवासी मनोहरथाना,
4. शालू बी उम्र 41 वर्ष पत्नी तोसीफ खां पुत्री साबरा बी मुसलमान, निवासी सुकेत
5. शब्बो बी पत्नी अनवर पुत्री साबरा बी मुसलमान, निवासी सूरजपोल दरवाजे के पास झालरापाटन
6. मोइनुद्दीन उम्र 35 वर्ष पुत्री हबीबुरहमान पुत्र साबरा बी मुसलमान, निवासी रीछवा, तहसील बकानी

.... अपीलांट

बनाम

1. शेख शरीफ पुत्र शेरारहीम उर्फ शेख रहीम मुसलमान, निवासी चौराहे की मस्जिद के पास बस स्टैण्ड रोड सुनेल, तहसील सुनेल
2. सईदन बी पत्नी याकूब अली पुत्री शेख रहीम मुसलमान, निवासी चौराहे की मस्जिद के पास बस स्टैण्ड रोड सुनेल, तहसील सुनेल
3. लतीफन बी पत्नी बाबू खां पुत्री शेख रहीम मुसलमान, निवासी प्रकाश नगर गली नं. 5 रेल्वे फाटक के पास नागदा, जिला नागदा मध्य प्रदेश
4. शेख आरीफ पुत्र शेख शरीफ मुसलमान, निवासी चौराहे की मस्जिद के पास बस स्टैण्ड रोड सुनेल, तहसील सुनेल
5. शेख शकील पुत्र शेख शरीफ मुसलमान, निवासी चौराहे की मस्जिद के पास सुनेल, तहसील सुनेल
6. शेख सगीर पुत्र शेख शरीफ मुसलमान, निवासी चौराहे की मस्जिद के पास सुनेल, तहसील सुनेल
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बच्चूलाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अनवर खां अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 4, 5, 6 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 23.04.2026**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 19/2024 निर्णय दिनांक 01.04.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, 83, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2061 से 2064 ग्राम सुनेल, पटवार हल्का सुनेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड राजस्थान की जमाबंदी में खाता संख्या नयी 991, खाता संख्या 892 की भूमि आराजी खसरा नं. 1424 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 1432 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1433 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 1510 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2025 से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थी/प्रतिवादी 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विचारण न्यायालय का आदेश कानून, न्याय व रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा वाद में पेश किये गये अपीलान्ट्स व रेस्पोडेंट के परिवार के शजरा पर न तो ध्यान दिया है, न उसका उल्लेख किया है। साबरा बी, शेख रहीम व कल्लो दोनों मृतक की पुत्री है। दोनों ही मृत्यु के पश्चात शेख रहीम के खाते की आराजी में साबरा बी सामान्यिक अभिधारी है तथा मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम (सुन्नी) के अन्तर्गत मृतक माता पिता की सम्मत्ति में उनका हिस्सा निर्धारित किया गया है। जिसको प्राप्त करने के अपीलान्ट्स अधिकारी हैं। अपीलान्ट्स पिता व माता की सम्पत्ति में हिस्सेदार है। लडकियों का हिस्सा 1/2 अथवा 2/3 निश्चित है अथवा कानूनन जो भी निश्चित है उसके अधिकारी अपीलान्ट्स है। विचारण न्यायालय ने आर्डर 7, रूल 11 को पढ़ने व समझने में भारी भूल की है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के इस प्रावधान में केवल तीन परिस्थितियों में वाद खारिज होने योग्य है – पहला वाद पेश करने का वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ है यह इस वाद पर लागू नहीं है क्योंकि वाद खातेदारी अधिकार की घोषणा का है जो वाद के अभिवचनों से साबित है अतः यह प्रावधान मौजूदा वाद पर लागू नहीं होता है। दूसरा यदि वाद कमकोर्ट फीस पर पेश किया हो तथा न्यायालय के आदेश के पश्चात भी की कमी की कोर्ट फीस पेश नहीं की गई हो। यह प्रावधान भी इस वाद पर लागू नहीं होता है। तीसरा यदि वाद किसी कानून से बाधित हो। यह भी इस वाद पर लागू नहीं होता है। वाद घोषणा का है जो विचारण न्यायालय में ही पेश होना चाहिए जो किया था तथा मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक की बेटियाँ व बेटे छोड़ी गई सम्पत्ति के हिस्सेदार

(धीरज रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

है। विचारण न्यायालय ने केवल वाद में उल्लेख किये गये शब्दों के आधार पर वाद पोषणीय नहीं मानकर खारिज किया है जो कानून के विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने कानून को पढ़ने व समझने में गलती की है। अपीलान्ट की मां सकीरा बी की मृत्यु के पश्चात आराजी में उसके हिस्से के हिस्सेदार हो जाते है इस आधार पर भी वाद खारिज नहीं होना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज करने का एक अन्य कारण मियाद कानून का लिया है कि वाद लगभग 18 वर्ष बाद पेश किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की तृतीय अनुसूची को नहीं पढ़ा है, न पढ़ने की कोशिश की है। तृतीय अनुसूची में यह स्पष्ट उल्लेख है कि खातेदारी अधिकारों के वाद में वाद पेश करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः माननीय विचारण न्यायालय का आदेश कि वाद मियाद बाहर पेश किया है कतई गलत व कानून के विरुद्ध है। विचारण न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया है कि उत्तराधिकार के सम्बन्ध में तनकी बनाई जाती तथा पक्षकार आराजी में प्राप्त होने वाले हिस्से को अपनी साक्ष्य से साबित करते। बाद में आराजी में हिस्से को गलत लिख दिया है उससे वाद खारिज होना चाहिए। विचारण न्यायालय को पक्षकारों द्वारा आराजी में अपने हिस्से को साबित करने के पश्चात ही वाद का निर्णय करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने मियाद कानून को मानते हुए वाद खारिज कर दिया लेकिन आदेश में यह उल्लेख नहीं किया है कि कानून की किस धारा के अन्तर्गत वाद मियाद बाहर पेश किया गया है। अतः आदेश निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.02.1983 को सकीरा बी द्वारा आराजी में अपने हिस्से के त्याग का कोई वैध दस्तावेज नहीं है केवल एक सादे कागज पर हकत्याग का उल्लेख है जो कानूनन गलत है। हकत्याग का दस्तावेज न तो स्टाम्प पर है न रजिस्टर्ड है। ऐसे अवैध दस्तावेज के आधार पर हकत्याग मान लेना कानूनन गलत है ऐसे दस्तावेज से सम्पत्ति में हकत्याग नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.01.2005 को नामान्तरण संख्या 2162 खोला जिसमें गलती से सकीरा बी का नाम दर्ज कर दिया है जो कतई गलत है। तहसीलदार ने नामान्तरण सही तस्दीक किया था। इस नाम को ग्राम पंचायत सुनेल ने हटा दिया जिसके आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 20.12.2005 को नामान्तरण संख्या 2309 से सकीरा बी का नाम हटा दिया यह दोनों आदेश गलत व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। सकीरा बी का नाम हटाने से पहले उसको कानूनन नोटिस दिया जाना चाहिए था तथा उसको सुना जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। ऐसा नामान्तरण सकीरा बी व उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। विचारण न्यायालय को सारे विवादित बिन्दु पर तनकीआत बनानी चाहिए थी तथा उभयपक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात वाद का निर्णय करना चाहिए था जो नहीं किया गया है अतः आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में जिन निर्णय का उल्लेख किया है उसमें वाद के तथ्य अलग थे ऐसे निर्णय मौजूदा वाद पर लागू नहीं होते हैं। विचारण न्यायालय ने

(वीरेन्द्र रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

वाद के अभिवचनों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया है व बगैर किसी वैध कानूनी आधार के वाद को खारिज कर दिया है जो गलत है। आदेश उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा का है अतः अपील माननीय न्यायालय की अधिकारिता में पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार परमाई जावे उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा का आदेश दिनांक 01.04.2025 निरस्त फरमाया जावे तथा वाद विचारण न्यायालय को सुनवाई के लिए रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था। प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया। शेख रहीम की मृत्यु हो चुकी है उसकी पत्नी कल्लो की भी मृत्यु हो चुकी है। उसका एक पुत्र तथा तीन पुत्रियां हैं। अपीलांट की माता साबरा बी ने अपने हिस्से की आराजी का कभी भी हकत्याग नहीं किया। घोषणा के दावे में लिमिटेशन लागू नहीं होता है। मुस्लिम एक्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी में पुत्र को 1/3 तथा पुत्रियों को 2/3 हिस्सा प्राप्त होता है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में हमें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को पुनः सुनवायी हेतु अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व अभियान में पुत्रियों द्वारा हकत्याग कर दिया था। साबरा बी की मृत्यु कल्लो से पहले हो चुकी थी। मुस्लिम लॉ के अनुसार ऐसी स्थिति में साबरा के वारिसान को दावा लाने का हक व अधिकार नहीं है। साबरा बी की मृत्यु सन् 1996 में हो गई थी तथा उसकी मां कल्लो की मृत्यु सन् 2002 में हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, 83, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड की विवादित आराजी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

खसरा नं. 1424, 1432, 1433, 1510 कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा कृषि आराजी के सन्दर्भ में दावा पेश कर कथन किया है कि अपीलांट की माता साबरा के फौत होने के बाद सरकारी कर्मचारियों से मिलकर रेस्पोडेंट ने नामान्तरकरण संख्या 2309 दिनांक 20.12.2005 को साबरा बी का नाम ग्राम पंचायत सुनेल से नाम कम करवा लिया और साबरा बी के वारिसान जिनका उक्त पुश्तैनी आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है का नाम दर्ज नहीं कराया उक्त आराजियात में अपीलांट का 1/4 हिस्सा बनता है। अतः 1/4 हिस्सा वादीगण के खाते में जमाबंदी में दर्ज किया जाये।

प्रतिवादी रेस्पोडेंटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आर्डर 7, नियम 11 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी, पिडावा केम्प सुनेल के समक्ष वादीगण की माता सकीरा बी पुत्र शेख रहीम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने हिस्से की आराजी का हक दिनांक 12.02.1983 को त्याग दिया। जिसका नामान्तरण तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 12.02.1983 नामान्तरण संख्या 865 द्वारा दर्ज किया गया। प्रार्थी रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 11.02.1983 को सहीदन बाई, लतीफनबाई एवं साबरा बाई पिता शेख रहीम द्वारा आलेखित हकत्याग पत्र की, एक अनरजिस्टर्ड नकल पेश की है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण की दादी कल्लो बी बेवा शेख रहीम के इंतकाल के बाद गलती से तहसीलदार द्वारा फौती इंतकाल निर्णय दिनांक 20.01.2005 नामान्तरण सं. 2162 खोला गया जिसमें गलती से वादीगण की माता सकीरा बी पुत्री शेख रहीम का नाम दर्ज कर दिया गया। लेकिन इसके पश्चात सुनेल में ग्राम पंचायत की कोरम की सर्वसम्मति से गलती से दर्ज हुए नाम को हटाये जाने का प्रस्ताव पास किया गया जिसको तस्दीक करते हुए तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 20.12.2005 नामान्तरण सं. 2309 में सकीरा बी पुत्री शेख रहीम का नाम हटा दिया गया। इसके पश्चात शेष जीवित दो बहने शहीदन बी ने दिनांक 13.04.2015 और लतीफन बी ने दिनांक 07.08.2014 को अपना हकत्याग अपने भाई शेख शरीफ पुत्र शेख रहीम के पक्ष में कर दिया। वादीगण द्वारा दायर वाद पूर्णतः समय सीमाओं से बाहर है। परिसीमा अधिनियम 1965 की धारा 3 के तहत विचारणीय नहीं है और खारिज करने योग्य है।

अप्रार्थीगण अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सकीरा बी ने अपने हिस्से का दिनांक 12.02.1983 को किसी भी न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश कर हकत्याग नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा के लिए वाद पेश करने की कोई समय सीमा नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7, नियम 11 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 01.04.2025 से वादीगण का वाद

(प्रीति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 एवं उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि (प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं) से वर्जित होने से सिविल प्रकिया संहिता–1908 के आदेश 7, नियमा–11 (डी) के तहत खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि विरासत एवं उत्तराधिकार के मुस्लिम विधि में रिप्रेजेन्टेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यदि किसी मुस्लिम पिता के जीवनकाल में या उनकी मृत्यु के वक्त उनका कोई पुत्र या पुत्री जीवित नहीं है तो उस मृत पुत्र या पुत्री या उनके वारिसानों को सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि के आधार पर पैतृक सम्पत्ति की कोई अवधारणा नहीं होती है और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की अवधारणा भी लागू नहीं होती है। वादग्रस्त आराजी को शेख रहीम या कल्लो बी की स्वअर्जित सम्पत्ति ही माना जावेगा। यह सही है कि कल्लो बी के फौत होने के करीब 6 वर्ष पूर्व ही पुत्री साबरा बी फौत हो चुकी थी अर्थात् कल्लो बी की मृत्यु के समय साबरा बी जीवित नहीं थी। केवल पुत्र शेख शरीफा/प्रार्थी कम 1, दो पुत्रियां प्रतिवादी सं. 2 व 3 ही जीवित थी। अतः मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार मृतक कल्लो बी की सम्पत्ति के जीवित पुत्र शेख शरीफ व दोनों जीवित पुत्रियां शहीदन बी व लतीफन बी का ही हक व अधिकार निहित था। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं होने से कल्लो बी की पूर्व से मृतक पुत्री साबरा बी के वारिसान/वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वादीगण की माता साबरा बी द्वारा दिनांक 12.02.1983 को अपने हिस्से के हकत्याग के सन्दर्भ में अंकित तथ्य एवं प्रस्तुत नकल अनरजिस्टर्ड पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही प्रस्तुत नकल नामान्तरण सं. 865 पर गौर किया। प्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नकल, हकत्याग पत्र एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है इसके द्वारा किया गया हकत्याग विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। खातेदार शेख रहीम के फौती नामान्तरण सं. 865 में पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.02.1983 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खातेदार फौत हो चुका, उसके एक लडका शेख शरीफ, बेवा कल्लो बाई है एवं तीन लडकियां शादीशुदा है। अतः मृतक खातेदार के बजाय नाम दर्ज करने वास्ते रिपोर्ट पेश है। इसके बावजूद मृतक खातेदार रहीम का फौती नामान्तरण केवल उसके पुत्र शेख शरीफ एवं बेवा कल्लो बाई के नाम तस्दीक किया गया। पिता की मृत्यु के बाद पुत्रियों का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किये बिना ही उनके द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को स्वीकार करना विधि सम्मत नहीं है। पिता के फौती नामान्तरण से राजस्व रिकार्ड में पुत्रियों का नाम दर्ज हुए बिना पुत्रियों को अपने विधिक हिस्से का हकत्याग करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता। यदि शेख रहीम की तीनों पुत्रियों द्वारा दिनांक 11.02.1983 को अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से अपने हिस्से का हकत्याग कर दिया था तो फिर प्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा लतीफन बाई एवं शहीदन बाई द्वारा कमशः दिनांक 08.08.2014 एवं 15.04.2015 को निष्पादित रजिस्टर्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हकत्याग की फोटो प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय में क्यों पेश की गई ? खातेदार कल्लो बी की मृत्यु के बाद दर्ज फौती नामान्तरण सं. 2162 पर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि वादीगण अपीलांट की माता साबरा बी की मृत्यु अपनी माता कल्लो बी से पूर्व हो चुकी थी परन्तु खातेदार रहीम की मृत्यु के बाद खोले गये फौती नामान्तरण सं. 865 पर मुस्लिम उत्तराधिकार विधि लागू होती है। अतः रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के अभाव में खातेदार रहीम के फौती नामान्तरण में पुत्रियों का विधिक रूप से नाम दर्ज होना चाहिए था। यह समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इन विधिक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। अप्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया है जिसमें साबरा बी के हकत्याग का विवादित बिन्दु उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर तनकीयों का विधिक रूप से विवेचन करने के पश्चात ही निर्णित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आर्डर 7, नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2025 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पत्रावली में पुनः नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.06.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा